



जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम



PURIFIED GAS STORAGE BALLOON(1)




BOOSTER COMPRESSOR



CASCASE FILLING



PURIFICATION REFINERY



200kg/cm²



नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

‘जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम’

1.0 पृष्ठभूमि

1.1 **वैल्यू-चेन-मैकेनिज्म** : प्रदेश में जैव ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि आधारित स्थायी आर्थिक विकास तथा असंख्य स्वरोजगार अवसरों के सृजन के उद्देश्य से राज्य जैव ऊर्जा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में सामान्य कृषि एवं औद्यानिकी हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि जिसमें ऊसर, परती, बंजर, बीहड़, जल प्लावित क्षेत्र इत्यादि सम्मिलित हैं, का उपयोग कर जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार के बायोमास के कृषिकरण का कार्य तथा उक्त बायोमास उत्पादन के गेस्टेशन पीरियड के दौरान किसानों के पर्यावरण प्रिय तरीके से नियमित आय हेतु औषधीय एवं संगंध पौधों की कृषि तथा सुपर फूड उत्पादन कार्यक्रम का भी संचालन ‘**वैल्यू-चेन-मैकेनिज्म**’ के अन्तर्गत “**उद्यमिता मोड**” में किया जा रहा है।

1.2 **प्रभावी क्रियान्वयन पर बल** : राज्य जैव ऊर्जा नीति में सम्मिलित विभिन्न मिशन जैसे मिशन बायोडीजल, मिशन बायोगैस तथा मिशन प्रोड्यूसरगैस के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न शासकीय विभागों को प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में कन्वर्जेन्स के माध्यम से बोर्ड द्वारा विकेंद्रीकृत स्तर पर किसानों के समूह बनाकर विभिन्न रोजगारपरक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से जैव ऊर्जा पौध रोपण तथा औषधीय एवं संगंध पौध कृषि का कार्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं में कन्वर्जेन्स के माध्यम से जैव ऊर्जा उत्पादन इकाईयों की स्थापना हेतु रू0 25 लाख तक की परियोजना लागत के सापेक्ष कुल लागत का 25-35 प्रतिशत पूंजीगत प्रोत्साहन राशि तथा रू0 25 लाख से रू0 01 करोड़ तक की परियोजना लागत के सापेक्ष सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में बैंक को देय ब्याज के सापेक्ष ब्याज उपादान की सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धित शासनादेश निर्गत हैं किन्तु इसका प्रत्यक्ष लाभ किसी भी उद्यमी द्वारा नहीं लिया गया है, जिससे राज्य जैव ऊर्जा नीति के अन्तर्गत सम्मिलित परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तेजी से नहीं हो पा रहा है।

1.3 **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कृषि अपशिष्टों हेतु निर्देश** : उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रदेश में गेहूँ तथा धान की फसलें प्रमुख रूप से होती हैं। दोनों ही फसलों की कटाई के पश्चात जो टूट / अवशेष खेत में बच जाते हैं, उनके निस्तारण की वर्तमान में कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। यद्यपि कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं जिससे कृषि अवशेष के सुव्यवस्थित निस्तारण की समस्या न आए परन्तु फिर भी कृषि अवशेषों को किसानों द्वारा जलाया जाता है जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा कृषि भूमि की गुणवत्ता भी दुषप्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में ठोस जैव अपशिष्टों के जलाये जाने से भी वातावरण प्रदूषित होता है तथा स्मॉग जैसी पर्यावरणीय समस्या पैदा होती है।



- 1.3.1 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 21 / 2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य एवं ओ0ए0 संख्या 118 / 2013 विक्रान्त कुमार तोंगड़ बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कृषि अपशिष्ट जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण के दृष्टिगत कृषि अपशिष्ट जलाने वाले किसानों से क्षेत्रफल के आधार पर जुर्माना राशि वसूलने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कृषि अपशिष्ट जलाये जाने से रोकने हेतु किसानों को रियायती दरों पर उपकरण/सुविधायें उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए गए हैं ताकि कृषि अपशिष्ट को समूल निकाला जा सके। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा यह निर्देश भी दिये गये हैं कि कृषि अपशिष्टों का वैकल्पिक प्रयोग हेतु भी सुविधायें विकसित की जायें। फसलों की कटाई के उपरान्त बचे हुए अपशिष्ट को जलाया जाना प्रतिषिद्ध किए जाने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा गजट नोटिफिकेशन संख्या 2845 / 55-पर्या / 15-99(पर्या)-13 दिनांक 28-10-2017 (संलग्नक-1) द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है।
- 1.3.2 वायु प्रदूषण का निवारण लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कृषि अपशिष्टों के जलाये जाने से उत्पन्न प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति विशेषकर शीत ऋतु में उत्पन्न हो जाती है। उक्त समस्या का मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान के अनुसार विभिन्न प्रदूषण स्तरों के सापेक्ष इस प्लान में निर्धारित की गई प्रदूषण निवारण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की कार्यवाही का अनुश्रवण पर्यावरण (प्रदूषण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत कृषि अपशिष्टों का वैकल्पिक प्रयोग की सुविधाओं को विकसित कर जलाये जाने के स्थान पर उनका वैकल्पिक प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है।
- 1.3.3 राज्य सरकार द्वारा कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने से प्रतिबन्धित कर उसके वैकल्पिक उपयोग के तौर-तरीकों को वृहद रूप से किसानों के बीच प्रसारित करने के उद्देश्य से बुलन्दशहर जनपद को "आदर्श जनपद" के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसी के क्रम में विगत दिनों एन.टी.पी.सी. द्वारा कृषि अपशिष्ट को क्य करने की योजना बनाई गई है, जिससे किसानों को प्रति टन अपशिष्ट रू 5500 / - की आय होगी।
- 1.3.4 प्रदेश में 119 चीनी मिलें कार्यरत हैं जिनके द्वारा पिछले वर्ष 827 लाख टन गन्ने की पेराई की गयी। पेरे गये गन्ने के सापेक्ष 3 प्रतिशत मात्रा में प्रेश मड अपशिष्ट उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है जिसका सी0पी0सी0बी0 मानकों के अन्तर्गत प्रबन्धन अति आवश्यक है। 8 किलो ग्राम प्रेश मड से 1 घन मीटर बायो गैस बनती है, जिसके सुद्धीकरण के उपरान्त लगभग 425 ग्राम बायो सी0एन0जी0 प्राप्त होती है। इन परिस्थितियों में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित प्रेश मड बायो सी0एन0जी0 इकाईयों हेतु एक उच्च गुणवत्ता के कच्चे माल के रूप में आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही बायो सी0एन0जी0 संयंत्रों से सह उत्पाद के रूप में कुल मात्रा का 20 प्रतिशत मात्रा उच्च गुणवत्ता की





आर्गेनिक खाद भी प्राप्त होती है। बायो सी०एन०जी० संयंत्र में प्रेस मड के अतिरिक्त गन्ने की पत्तियाँ तथा बायोकोल उत्पादन से अवशेष बची गन्ने की खोई तथा अन्य कृषि अपशिष्ट का भी इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इस आलोक में प्रश्नगत नीति गन्ना एवं चीनी उद्योग सेक्टर में इनोवेटिव इन्टरप्रिन्योरशिप प्रमोशन के साथ-साथ उक्त अपशिष्टों का उपयोग होने से सम्बन्धित चीनी मिलों के अतिरिक्त गन्ना किसानों के भी आर्थिक संवर्धन में सहयोगी होगा।

1.4 जैव ईंधन इकाइयों की स्थापना पर बल:-

1.4.1 मा० राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदेश के एन०सी०आर० क्षेत्र के जनपदों में कृषि तथा अन्य जैव अपशिष्टों के जलाये जाने से उठने वाले धुएँ के कारण होने वाले स्मॉग तथा अन्य पर्यावरणीय प्रदूषण के स्थायी समाधान हेतु मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में कृषि अपशिष्टों के पावर जनरेशन, कम्पोस्ट या अन्य उत्पाद जैसे स्ट्रा बोर्ड, बायोकोल, बायोचार आदि बनाने में उपभोग के विकल्प तलाश करने हेतु भी मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देशित किया गया। इस बैठक में बोर्ड के प्रस्तुतीकरण पर सहमति व्यक्त करते हुये कृषि एवं अन्य जैव अपशिष्टों से बायोकोल (पेलेट्स तथा ब्रिकेट्स) एवं बायो-सी०एन०जी० उत्पादन की कार्य योजना को प्रोजेक्ट मोड में संचालित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार की इकाइयों की स्थापना से समस्त प्रकार के जैव ईंधन, जिसमें ठोस ईंधन (बायोकोल-पेलेट्स तथा ब्रिकेट्स), द्रव ईंधन (बायोडीजल, बायो एथेनाल तथा मेथेनॉल), गैसीय ईंधन (बायोगैस / बायो सी०एन०जी०) तथा ड्राप-इन-फ्यूल को उत्पादित किये जाने की व्यवस्था नीति में की जा चुकी है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश भी प्रदान किये गये। बायोएथेनॉल की ब्लेन्डिंग पेट्रोल में तेल विक्रेता कम्पनियों द्वारा आरम्भ की जा चुकी है। परम्परागत पेट्रोल में बायो एथेनाल की उच्च मात्रा में ब्लेन्डिंग की तकनीकी सहमति को देखते हुये बायो एथेनाल उत्पादन कार्यक्रम एक बड़े बाजार का रूप ले रहा है। इसके अतिरिक्त ड्राप-इन-फ्यूल अद्यतन तकनीकी पर आधारित एक वैकल्पिक ईंधन है जिसे आवश्यकतानुसार पेट्रोल / डीजल दोनों ही परम्परागत ईंधन में ब्लैण्ड किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से डीजल / पेट्रोल के स्थान पर शतप्रतिशत भी किया जा सकता है। इसके लिये इंजन में किसी अतिरिक्त परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं होगी। मेथेनॉल का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में लो-कास्ट स्वच्छ कुकिंग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसके साथ ही आंतरिक दहन इंजन में कतिपय तकनीकी संशोधन के साथ मेथेनॉल का उपयोग लो-कास्ट स्वच्छ परिवहन ईंधन के रूप में भी आसानी से किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा संचालित उपरोक्त समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी।

1.4.2 उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कृषि अपशिष्टों तथा पशुपालन अपशिष्टों की वर्तमान उपलब्धता का आंकलन किया गया जिसके क्रम में प्रत्येक दिन लगभग 692062.07 मैट्रिक टन गोबर तथा अन्य पशुपालन अपशिष्ट पैदा होता है जिससे प्रति दिन औसतन 34.60 लाख घन मीटर बायोगैस अथवा 22.15 लाख घन मीटर बायो सी०एन०जी० उत्पादित की जा सकती है। इसी प्रकार प्रति वर्ष 156 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट उत्पादित होता है जिससे 175.5 मिलियन टन परम्परागत कोयले के कैलोरिफिक वैल्यू के बराबर बायोकोल उत्पादित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को औद्योगिक स्वरूप प्रदान करने के उपरान्त प्रदेश में ऊसर, परती, बंजर,



बीहड़ इत्यादि क्षेत्रों में बायोमास उत्पादन कर जहाँ एक ओर प्रदेश के जी०डी०पी० में कृषि के अंश में बढ़ोतरी होगी वहीं उक्त बेकार भूमि पर बायोमास उत्पादन कार्यक्रम से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी बल मिलेगा तथा ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश पर्यावरण प्रिय तरीके से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत एकत्र किये जा रहे हजारों टन जैव अपशिष्टों के प्रबन्धन कार्यक्रम को भी एक नयी दिशा प्राप्त होगी, जैसा कि मा० मुख्यमंत्री जी के समक्ष नीति आयोग, भारत सरकार के मा० सदस्य द्वारा मेथेनॉल इकोनामी पर पूर्व में दिये गये प्रस्तुतीकरण से स्पष्ट है। राज्य जैव ऊर्जा नीति में सम्मिलित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक पूंजी निवेश, पर्यावरण संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में इनकी उपयोगिता तथा नवाचारी प्रकृति के कारण इन परियोजनाओं को समयबद्ध वित्तीय उपादान प्रदान किया जाना आवश्यक है। नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्टों को संयंत्र के माध्यम से निस्तारित करने तथा ऊर्जा उत्पादित करने की कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्टों को जलाया जाना प्रतिबन्धित कराया जा चुका है। नगर विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निस्तारण हेतु लगाये जाने वाले संयंत्र/औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किये जाने पर इस शर्त के साथ सहमति दी जाय कि औद्योगिक इकाइयों यथा आवश्यकतानुसार ई०टी०पी०/एस०टी०पी० आदि की व्यवस्था भी करेंगे तथा पर्यावरण विभाग से अनुमति भी प्राप्त करेंगे।

2.0 उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा समय-समय पर संचालित विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु "जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिये प्रक्रिया का निर्धारण करने तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से प्रक्रिया/दिशा-निर्देश (Guidelines) बनाया गया है, जिसका स्वरूप निम्नवत् है:-

2.1 मिशन :

- प्रदेश के जैव ऊर्जा आधारित पर्यावरण प्रिय स्थायी आर्थिक विकास
- सतत स्वरोजगार/रोजगार अवसरों के सृजन में योगदान प्रदान करना।
- नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना
- 3 मेगा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

2.2 रणनीति : 2.2.1. परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति "वैल्यू-चेन-मैकेनिज्म" के अन्तर्गत "उद्यमिता मोड" पर आधारित होगी। इसके क्रियान्वयन प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान होंगे:-

(अ) इस कार्य हेतु उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं अन्य प्रमोशनल गतिविधियों के माध्यम से समय-समय पर प्रचार-प्रसार कर, जैव ऊर्जा परियोजना (बायोडीजल, बायो एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोगैस/बायो सी०एन०जी०, प्रोड्यूसर गैस (पेलेट्स तथा ब्रिकेट्स) हेतु निवेश प्रस्ताव आमंत्रित किया जायेगा।

(ब) सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध वित्तीय संसाधन के सापेक्ष प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार तथा इच्छुक उद्यमी द्वारा अंगीकृत की गयी तकनीकी, उसकी निरन्तरता तथा परियोजना की सकल लागत एवं प्रति इकाई उत्पादन लागत के मूल्यांकन के उपरान्त ही सम्बन्धित सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। मूल्यांकन का कार्य बिन्दु सं०-2.3 (वित्तीय प्रोत्साहन) पर वर्णित विवरण के



अनुसार किया जायेगा। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा राज्य जैव ऊर्जा नीति के समस्त मानकों के सापेक्ष किया जायेगा। यथा आवश्यकता बोर्ड निवेशक से अतिरिक्त अभिलेख/सूचनायें प्राप्त करेगा। मूल्यांकन उपरान्त बोर्ड अपनी संस्तुति औद्योगिक इकाईयों की लागत के अनुसार स्वीकृति समिति/सशक्त समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगा।

2.2.2. औद्योगिक इकाईयों का वर्गीकरण: 2.2.2.1 सामान्य औद्योगिक इकाई (स्तर -1): रू० 10.00 करोड़ से कम निवेश वाली इकाईयों को सामान्य औद्योगिक इकाई के रूप में व्यवहृत किया जायेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक स्वीकृति समिति गठित की जायेगी, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:—

- सम्बन्धित मण्डल के पुलिस उप महानिरीक्षक।
- सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी।
- सम्बन्धित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
- वाणिज्य कर विभाग के परिक्षेत्रीय अधिकारी।
- श्रम विभाग के परिक्षेत्रीय अधिकारी।
- सम्बन्धित जिले के उप निदेशक कृषि।
- विद्युत विभाग के वरिष्ठतम मण्डलीय अधिकारी।
- उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय अधिकारी।
- सम्बन्धित जिला प्रबन्धक लीड बैंक।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी।
- कारखाना निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी।
- परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग।
- सम्बन्धित जिले के परियोजनाधिकारी, यू०पी० नेडा।
- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण।
- सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के क्षेत्रीय अधिकारी जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।
- राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

बैठक की कार्यवाही के आधार पर सम्बन्धित विभागों को स्वीकृति पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट का आलेख्य प्रसारित किया जाएगा, जिस पर सम्बन्धित विभाग अपनी सहमति अंकित करेंगे। इसके पश्चात उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा पात्र इकाई को औपचारिक स्वीकृति पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा।

2.2.2.2 सामान्य औद्योगिक इकाई (स्तर-2) : रू० 10.00 करोड़ से अधिक तथा रू० 100.00 करोड़ से कम निवेश वाली इकाईयों को सामान्य औद्योगिक इकाई के रूप में व्यवहृत किया जायेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्वीकृति समिति गठित की जायेगी, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:—

- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।





- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग ।
 - प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग ।
 - सम्बन्धित विभाग / प्राधिकरण / संस्था के प्रमुख सचिव, जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है ।
 - राज्य समन्वयक / सदस्य संयोजक, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड ।
- बैठक की कार्यवाही के आधार पर सम्बन्धित विभागों को स्वीकृति पत्र / लेटर ऑफ कम्फर्ट का आलेख्य प्रसारित किया जाएगा, जिस पर सम्बन्धित विभाग अपनी सहमति अंकित करेंगे। इसके पश्चात उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा पात्र इकाई को औपचारिक स्वीकृति पत्र / लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा ।

2.2.2.3. मेगा औद्योगिक इकाई : रू० 100.00 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाईयों को मेगा औद्योगिक इकाई के रूप में व्यवहृत किया जायेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर मा० मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। सशक्त समिति के निम्न सदस्य होंगे:—

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिकी विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग ।
 - सम्बन्धित विभाग / प्राधिकरण / संस्था के प्रमुख सचिव, जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है ।
 - आवश्यकतानुसार, विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे—नाबार्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेज अथवा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय / तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से सम्बद्ध विशेषज्ञ संस्थानों अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थानों में से किसी एक से विशेषज्ञ प्रतिनिधि ।
- राज्य समन्वयक / सदस्य संयोजक, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड ।

माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश के निर्गत हो जाने के पश्चात

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा पात्र इकाई को औपचारिक स्वीकृति पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा।

2.3 वित्तीय प्रोत्साहन :

2.3.1 राज्य जैव ऊर्जा नीति में सम्मिलित समस्त कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित छूट की सुविधा प्रस्तावित है:—

2.3.1.1 पूँजी उपादान

2.3.1.1.1 सामान्य औद्योगिक इकाई (स्तर-1) परियोजना लागत का 25 प्रतिशत प्रति इकाई पूँजीगत उपादान की अनुमन्यता होगी।

2.3.1.1.2 सामान्य औद्योगिक इकाई (स्तर-2) परियोजना लागत का 20 प्रतिशत प्रति इकाई पूँजीगत उपादान की अनुमन्यता होगी।

2.3.1.2 स्टाम्प ड्यूटी छूट

इकाई की अवस्थापना हेतु भूमि क्रय हेतु स्टाम्प ड्यूटी की शत-प्रतिशत छूट की सुविधा उपलब्ध होगी।

2.3.1.3 एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति

स्थिर पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक एस0जी0एस0टी0 की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

2.3.2 केस-टू-केस आधारित प्रोत्साहन

2.3.2.1 पूँजीगत उपादान

रु0 100.00 करोड़ से अधिक लागत वाली मेगा परियोजनाओं को अन्य प्रोत्साहनों के साथ परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 150.00 करोड़ प्रति इकाई पूँजीगत उपादान अनुमन्य होगा।

नोट :-

1. परियोजना लागत की परिभाषा एवं अन्य परिभाषायें तथा प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु आवेदन एवं वितरण की प्रक्रिया उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अनुरूप होंगी, जिसके लिए पृथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत वित्तीय उपादान की गणना करते समय परियोजना लागत में भूमि एवं प्रशासकीय भवन की लागत को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
3. उपरोक्त वित्तीय प्रोत्साहन उन परियोजनाओं पर अनुमन्य नहीं होगा जिनमें शासन की अंशधारिता 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी।
4. जिन परियोजनाओं को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य है उन परियोजनाओं को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार जहाँ विद्युत विक्रय पावर परचेज एग्रीमेन्ट के आधार पर लाइसेंस को किया जाना हो उन परियोजनाओं को इस नीति में वित्तीय सहायता अनुमन्य नहीं होगी।
5. उन परियोजनाओं को वरीयता दी जायेगी जिसकी तकनीकी सिद्ध (Proven) तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। साथ ही सम्बन्धित तकनीकी का भविष्य में भारतीयकरण किये जाने की भी सुनिश्चितता हो। साथ ही अधिक से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की क्षमता हो।

6. किसी भी इकाई को सभी स्रोतों से मिलने वाली वित्तीय रियायतें इकाई द्वारा किये गये स्थिर निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
7. नीति के अन्तर्गत प्रथम 3 मेगा औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने अथवा स्वीकृत बजट की अनुमन्य सीमा तक प्रोत्साहनों का वितरण हो जाने अथवा 03 वित्तीय वर्ष तक, जो भी पहले समाप्त हो, के उपरांत नीति का पुनर्विलोकन शासन द्वारा किया जायेगा।
- 2.3.3 उक्त वित्तीय सुविधाएं नीति के सम्बन्ध में शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात उन उद्योगों पर लागू होगी जिनकी स्थापना की कार्यवाही इस नीति के लागू होने के उपरान्त होगी तथा जिनकी स्वीकृति इस नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत होगी।

2.4 क्रियान्वयन :- जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा किया जायेगा।

2.5 कार्बन क्रेडिट सुविधा : जैव ऊर्जा के विकास एवं उपयोग के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में होने वाली कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्बन क्रेडिट सुविधा (UNCFCC (United Nation's Convention For Climate Change) के मानकों के अन्तर्गत प्राप्त करने हेतु आवश्यक समन्वय उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा दिया जायेगा।

2.6 गुणवत्ता मानक:

2.6.1 भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) द्वारा बायो डीजल हेतु पहले से ही एक मानक (ई0एस0-15607) विकसित कर रखा है जो अमेरिकन मानक ए0एस0टी0एम0- डी0-6751 एवं यूरोपीय मानक ई0एन0-14214 से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो ने 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत बायो एथेनाल ब्लेण्ड सहित पेट्रोल का मानक आई0एस0-2796 : 2001 विकसित किया है।

2.6.2 बायो एथेनाल, बायोडीजल, ड्राप-इन-फ्यूल, मथेनॉल तथा अन्य बायो फ्यूल के उत्पादन में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.7 जैव ईंधन का आयात एवं निर्यात :

2.7.1 खेतों में फसल कटाई के उपरान्त बचे कृषि अपशिष्ट को प्रायः कृषकों को अगली फसल की तैयारी से पूर्व जला दिया जाता है। उक्त कृषि अपशिष्ट का प्रयोग बायोमास के रूप में जैव ईंधन तैयार किए जाने हेतु किया जा सकता है। जैव ऊर्जा उद्यम हेतु आवश्यक मुख्य कच्चे माल के आयात की अनुमति नहीं होगी।

2.7.2 फसल कटाई के उपरान्त वर्ष के अवशेष दिनों में सम्बन्धित उद्यम को आवश्यक बायोमास हेतु "वैल्यू-चेन-मैकेनिज्म" के अन्तर्गत बोर्ड के प्रत्यक्ष समन्वय से कृषक क्लस्टर/एफ0पी0ओ0 की सहायता से सम्बन्धित किसानों की कृषि/औद्योगिकी हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि (ऊसर, परती, बंजर जल प्लावित, बीहड़ इत्यादि) पर बायोमास उत्पादन कार्यक्रम को संचालित करना होगा। कृषक क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक सदस्य को जैव ऊर्जा वॉलेण्टियर के रूप में नामित किया जायेगा। कच्चे माल की कीमत का निर्धारण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बाजार दर एवं उसी

- वित्तीय वर्ष में जैव ऊर्जा उत्पाद के बाजार मूल्य के आधार पर किया जायेगा।
- 2.7.3 जैव ईंधन आयात की अनुमति की स्थिति में आयातित जैव ईंधन पर ड्यूटी व अन्य कर लगाये जायेंगे ताकि स्वदेशी जैव ईंधन आयातित ईंधन से महंगा न हो जाए। जैव ईंधन के उत्पादन हेतु यथा आवश्यकता फ्री फैंटी ऐसिड (एफ0एफ0ए0) के आयात की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- 2.7.4 जैव ईंधन का निर्यात केवल उस दशा में किया जा सकेगा जबकि सम्बन्धित ईंधन के सापेक्ष हमारी आन्तरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी हों।

2.8 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण:

- 2.8.1 घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु विभिन्न स्तरीय जागरूकता/क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढीकरण तो होगा ही साथ ही स्वरोजगार के अवसर सृजन हेतु जैव ईंधन सेक्टर की भूमिका एवं महत्व स्वयं स्थापित हो जायेगा।
- 2.8.2 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर अधिकाधिक बल दिया जायेगा। इस हेतु विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थानों, पॉलीटेक्निक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण हेतु उत्साहित किया जायेगा जिससे जैव ऊर्जा क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कोर्स मैटेरियल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाये जिससे प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के अनुमोदन से लागू कराया जायेगा तथा छात्र-छात्राओं को एक वैकल्पिक विशय के रूप में पढ़ाया जायेगा।

2.9 पूर्व में रोपित जैव संसाधनों (बायोमास) का सुनियोजित प्रबन्धन एवं उसका जैव ऊर्जा उद्यम संचालन हेतु उपयोग:

- 2.9.1 प्रदेश में वन विभाग द्वारा पूर्व से लगाये गये नीम, महुआ, करंज तथा अन्य तैलीय बीजोत्पादों के संग्रहण एवं उसके ब्यावसायिक उपयोग की अनुमति होगी। इन बीजों के तेल से बायोडीजल उत्पादन होगा।
- 2.9.2 डिग्रेडेड वन भूमि में एग्रोफारेस्ट्री परियोजनाओं का संचालन किया जायेगा। इस कार्य में जैव ऊर्जा उद्यमों के संचालन हेतु बायोमास उत्पादन के साथ-साथ इसकी अन्तः कृषि/इसके गेस्टेशन पीरियड के दौरान विभिन्न औषधीय, संगंध पौध एवं सुपर फूड्स उत्पादन कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।
- 2.9.3 पर्यावरण के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीणों/किसानों एवं उनके पालतू जानवरों हेतु पूर्णतः अभिशाप बन चुके सुबबूल के बायोमास का उपयोग बायोकोल उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप किया जायेगा। इसके बायोमास की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि राज्य सरकार के एक विशेष खाते में रखी जायेगी। इस धनराशि का उपयोग सम्बन्धित क्षेत्र में नीम, महुआ, करंज, सीमारूबा तथा अन्य ऐसे वृक्षों को रोपित किये जाने में जायेगा जिनके उत्पाद का उपयोग जैव ऊर्जा उद्यमों हेतु कच्चे माल के रोपण हेतु तो होगा ही साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा।
- 2.9.4 महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत महिला समाख्या समूह द्वारा महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन/प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग महिला सशक्तीकरण के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संचालन में नोडल विभाग के रूप में क्रियाशील है। अतः महिला समाख्या/महिला समूहों द्वारा जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन के प्रस्तावित प्रयासों में योगदान दिये जाने पर विभागीय सहमति दी जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित समितियों

के गठन में महिला कल्याण विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मण्डल स्तर पर उक्त मुख्य परिवीक्षाधिकारी तथा शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव को सम्मिलित किया जाना उचित होगा।

2.9.5 लेण्डाना तथा ऐसे ही अन्य वीड्स जो वन क्षेत्रों के विस्तार कार्यक्रम/वृद्धि को बाधित करते हैं, उनका जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग होने से उसके साफ-सफाई पर होने वाले अतिरिक्त शासकीय व्यय को तो बचाया ही जा सकेगा साथ ही उसके संग्रहण के दौरान अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित होंगे तथा विभाग को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।

2.10 कार्यक्रम के लागू होने के उपरांत सम्भावित उपलब्धियाँ :

प्रस्तावित जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के लागू होने के उपरांत निम्नलिखित प्रत्यक्ष तथा परोक्ष उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी :-

2.10.1 **वैकल्पिक ईंधन का सतत उत्पादन:** समस्त प्रकार के जैव अपशिष्टों (काष्ठीय तथा मॉसल प्रजाति) का वैज्ञानिक तरीके से सुनियोजित तथा उत्पादक प्रबन्धन होने की स्थिति में जैव ऊर्जा उत्पादन कार्य, जिसमें ठोस, द्रव एवं गैसीय ईंधन सम्मिलित है, सतत रूप से प्रारम्भ हो जायेंगे। इससे पेट्रोलियम आधारित ईंधन पर निर्भरता उत्तरोत्तर रूप से कम होगी।

2.10.2 **सकल कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी तथा कृषक आय सम्वर्द्धन :** जैव ईंधन उत्पादन हेतु आवश्यक समस्त प्रकार के बायोमास के उत्पादन हेतु कृषि एवं बागवानी हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि का उपयोग किया जायेगा। इससे किसानों के ऊसर, बंजर, बीहड़, परती, जल प्लावित इत्यादि क्षेत्रों का उपयोग बढ़ जायेगा। इससे प्रदेश के सकल कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश के जी०डी०पी० पर होगा। साथ ही प्राथमिक कृषि निवेश जैसे सिंचाई हेतु डीजल के स्थान पर बायोडीजल/बायोगैस/बायो सी०एन०जी०, रसायनिक खाद के स्थान पर बायो मैन्योर इत्यादि का प्रयोग उत्तरोत्तर रूप से बढ़ेगा जिससे प्रति इकाई कृषिकरण की लागत कम होगी। फसलों की कटाई के बाद अवशेष कृषि अपशिष्टों को बायोमास के रूप प्रयोग करने पर कृषि अपशिष्ट जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा जिससे सर्दियों में स्मॉग जैसी पर्यावरण समस्या से सतत रूप से छुटकारा मिल जायेगा। इस प्रयास से किसानों की आय में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी।

2.10.3 **आफग्रीड मोड में लागत प्रभावी दरों पर विद्युत तथा अन्य वैकल्पिक पर्यावरण प्रिय ईंधन की सुविधा:** प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्थापित की जाने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तरीय इकाईयों के संचालन हेतु आवश्यक विद्युत ऊर्जा की अपूर्ति आफ-ग्रिड-मोड में जैव ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को भी आफ-ग्रिड-मोड में विद्युत उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रयास से विद्युत ग्रिड पर अधिभार कम होगा तथा सम्बन्धित इकाई को नियमित विद्युत आपूर्ति के अभाव में होने वाले नुकसान से भविष्य में प्रत्यक्ष रूप से बचाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाईयों में स्थापित भट्टियों तथा ब्वायलर इत्यादि में परम्परागत कोयले के स्थान पर बायोकोल का उपयोग किया जायेगा। इस प्रयास से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को तो बल मिलेगा ही साथ ही विद्युत ग्रिड पर से अधिभार उत्तरोत्तर रूप से कम होगा एवं परम्परागत कोयले की खपत भी कम होगी।

उक्त प्रयास से सरकार तथा उद्योग दोनों ही के लिये “win-win” की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी भी परिस्थिति में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की बायोमास आधारित ग्रिड- इण्टर-एक्टिव परियोजनाओं को जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अनुमन्य नहीं होंगी। उक्त बिन्दु 2.2.2 में विभिन्न सोपानों पर जैव ऊर्जा उद्यम प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु गठित समितियाँ स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान इस बिन्दु को विशेष रूप से सन्दर्भित करेगी।

2.10.4 जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का पर्यावरण प्रिय तरीके से नियंत्रण: समस्त प्रकार के जैव अपशिष्टों का सुनियोजित प्रबन्धन होने तथा जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास कल्टीवेशन / प्लाण्टेशन कार्यक्रम के नियमित संचालित होने से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को भी उत्तरोत्तर रूप से नियंत्रित करने में सहयोग प्राप्त होगा।

2.10.5 गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग: बायो गैस / बायो सी0एन0जी0 परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य सरकार द्वारा गोवंश की रक्षा हेतु स्थापित की जाने वाली गौशालाओं एवं पूर्व से संचालित गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही गौशालाओं के कैम्पस में तथा उसके आस पास होने वाली गंदगी से भी स्थायी रूप से छुटकारा प्राप्त हो जायेगा।

2.10.6 स्वरोजगार अवसरों का सृजन एवं लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 का प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग: उक्त समस्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं को क्षेत्रीय स्तर पर स्वरोजगार के असंख्य अवसर भी सृजित होंगे। इस प्रयास से राज्य सरकार के “लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017” में वर्णित विभिन्न बिन्दुओं जैसे- किसानों की आय दोगुना किया जाना, आर्गेनिक खेती, पर्यावरण संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, युवाओं को सतत स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी एक साथ पूर्ण करने में सहयोग प्राप्त होगा।

3.0 उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि:- जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम की प्रक्रिया / दिशा-निर्देश (Guidelines) में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन किये जाने के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं।

4.0 कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित विभाग: कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित विभाग निम्नवत् हैं:-

नियोजन, वित्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, व्यावसायिक कर (जी0एस0टी0), ऊर्जा, वन, पर्यावरण, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम, कृषि, उद्यान, श्रम एवं सेवायोजन, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, तकनीकी शिक्षा, महिला कल्याण, नगर विकास तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।



5.0 उपर्युक्त प्रस्तर-2 एवं 3 के विभागीय प्रस्ताव पर विभिन्न परामर्शी विभागों से प्राप्त अभिमत तथा उस पर विभागीय मत की व्यवस्था के अधीन प्रस्तर-2 एवं 3 पुनरीक्षित प्रस्ताव में निहित “**जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम**“ के कियान्वयन हेतु प्रक्रिया/दिशा-निर्देश (Guidelines) के निर्धारण प्रक्रिया पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव।
नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

पत्रावली संख्या-2 / 1(35) / 2017
नियोजन अनुभाग-1
लखनऊ : दिनांक- 16 फरवरी, 2018





अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें
सचिव,
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय
ऊर्जा विकास अभिकरण
विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ
फोन नं० : 0522-2720652, 27720892

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें
राज्य समन्वयक / सदस्य-संयोजक
30 प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड
कक्ष सं० : 534-535, 5वां तल, योजना भवन, लखनऊ
फोन : 0522-2236213, मो० : 9415004917
ई-मेल : upbidenergy2017@gmail.com, support.bioenergy-up@nic.in,
ps_ojha@yahoo.com वेबसाइट : bio-energy.up.nic.in